न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी	–	मनीषा शर्मा, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी अपील डिक्री CIS संख्या	–	08/2016
CNR Number	–	RJBE090000042016

अपीलान्ट/अपीलार्थी (प्रतिवादी) :–

नाथु पुत्र हजारी, निवासी प्रतापगढ़, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राजस्थान)

ब ना म

रेस्पोंडेंट/प्रत्यर्थी (वादीनी) :–

नैनी देवी पत्नी (बेवा) गंगा सिंह, निवासी प्रतापगढ़, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बर के पीठासीन अधिकारी श्री राकेश गौरा (आर.जे.एस.)
द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 33/2010, वादीनी नैनीदेवी बनाम प्रतिवादीगण लाडु
व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2016 के विरूद्ध

उपस्थितिः–

1. श्री कल्याण सिंह उदावत, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से।
2. श्री अर्जुन सिंह, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट/वादीनी की ओर से।

।। निर्णय ।।

दिनांक – 24.08.2026

1. यह प्रथम सिविल अपील अपीलान्ट/प्रतिवादी नाथु की ओर से रेस्पोंडेन्ट/वादीनी नैनी देवी के विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2016, जो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 33/2010, बअनवान नैनी देवी बनाम लाडू वगैरह में पारित किया गया, के विरुद्ध अपर जिला न्यायालय, जैतारण के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो विधिवत निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. रेस्पोंडेन्ट/वादीनी के द्वारा एक वाद विरुद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरुद्ध बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम मौजा प्रतापगढ़ की आबादी में खसरा नंबर 2524/1 गैर मुमकिन आबादी में वादीनी का एक भूखण्ड़ है, जिसका वादीनी अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग कर रही है। उक्त भूखण्ड़ के चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार बनाई हुई है। प्रतिवादीगण लाठी के बल पर उक्त भूखण्ड़ को हड़प कर वादीनी को बेदखल करना चाहते हैं। वादीनी के उक्त भूखण्ड़ के उत्तर में उप–स्वास्थ्य केन्द्र, दक्षिण में आपूराम का बाड़ा, पूर्व में गांवाई तालाब की पाल एवं पश्चिम में प्रतापगढ़ मोहरा सड़क अवस्थित हैं। यदि वादीनी को प्रतिवादीगण उक्त भूखण्ड से बेदखल कर देते हैं तो वादीनी को अपनी पुश्तैनी जमीन से महरूम होना पड़ेगा। अंत में वाद में वर्णित खसरा नंबर 2524/1 गैर मु. आबादी की जमीन से वादीनी को बेदखल नहीं करने व जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद का जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया कि खसरा नंबर 2524/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गौचर की भूमि आई हुई है जो प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि के पड़ौस में आई हुई है। उक्त गौचर की जमीन पर वादीनी का कोई कब्जा नहीं हैं और ना ही वादीनी उक्त जमीन का उपयोग–उपभोग करती है। वादीनी अपने महिला होने के नाते जबरदस्ती पंचायत के सरपंच एवं पटवारी से मिलीभगत कर गौचर की जमीन पर अतिक्रमण करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। साथ ही विशेष विवरण में वादग्रस्त जमीन गौचर की होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का उक्त वाद नहीं होना एवं प्रतिवादीगण का उक्त जमीन पर कब्जा होना एवं वादीनी द्वारा क्लीन हैण्ड से नहीं आने के तथ्य प्रकट किये तथा अंत में वादीनी का वाद मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. वादीनी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.01 नैनी देवी, गवाह पी.डब्ल्यू.02 बोदू सिंह, गवाह पी.डब्ल्यू.03 धन्ना सिंह को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दावा प्रदर्श 01, जमाबंदी प्रदर्श 02, मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिया गया निर्देश प्रदर्श 03, पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श 04, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 05 प्रदर्शित करवाए हैं।

5. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू.01 लाडू, गवाह डी.डब्ल्यू.02 कमरू व गवाह डी.डब्ल्यू.03 नाथु को पेश कर परीक्षित कराए तथा दस्तावेजी

साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श 01–ए, जवाब के साथ पेश प्रमाणित नक्शा प्रदर्श 02–ए, स्वयं की जमाबंदी प्रदर्श 03–ए पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

6. बहस सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2016 द्वारा वादीनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

7. बहस अपील उभय पक्षकारान सुनी गई।

8. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपील में उल्लेखित आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2016 पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सन्तुलन के सर्वथा विपरीत है तथा न्याय संगत नहीं है, और ना ही नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुकूल है। अपीलान्ट/प्रतिवादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट/वादीनी का वाद स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त वादग्रस्त भूमि गौचर भूमि है। गौचर भूमि पर किसी का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का मौके पर किसी प्रकार का नाप–चोप नहीं किया गया है और ना ही पत्रावली पर किसी प्रकार के नाप–चोप की रिपोर्ट पेश हुई है। खसरा नम्बर 2524/1 गौचर भूमि है। गौचर भूमि के वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान् के न्यायालय को नहीं है। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं वादीनी का वाद मय खर्चे फरमाया जावे।

9. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2017 को निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट/वादीनी ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते अपील को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में सम्पूर्ण निर्णय को ही आधार रहित होना बताते हुए अपील पेश की गई है। जिस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12. न्यायालय का विवाद्यकवार विवेचन इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u> –

13. इस विवाद्यक के माध्यम से रेस्पोंडेन्ट/वादीनी को यह साबित करना था कि "आया ग्राम मौजा प्रतापगढ़ में खसरा संख्या 2524/1 गै. मु. आबादी वादीया पुश्तैनी कब्जे का है।"

प्रस्तुत वाद की वादीनी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया, जिसमें वादीनी ने यह अंकन किया है कि खसरा संख्या 2524/1 गैर मुमकिन आबादी में वादीनी का एक भूखण्ड़ है, जिसका वादीनी अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग कर रही है। उक्त भूखण्ड पर वादीनी का कब्जा है। उक्त भूखण्ड़ के चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार बनाई हुई है तथा अपने अनुतोष खण्ड में उक्त कब्जेशुदा जमीन से प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल नहीं किये जाने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा गया है। जिस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे में अंकन किया गया है कि खसरा संख्या 2524/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गौचर की भूमि आई हुई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी वादीनी को नहीं दी गई थी। उक्त विवाद्यक बिन्दु के संबंध में वादीनी नैनी देवी द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं के बयान पी.डब्ल्यू.01 के रूप में तथा अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.02 बोदू सिंह व गवाह पी.डब्ल्यू.03 धन्ना सिंह के बयान अभिलिखित करवाये हैं। वादीनी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में जमीन के नाप व क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी नहीं होना जाहिर किया है व साथ ही नक्शा भी पेश नहीं किया है। वादीनी की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू.02 बोदू सिंह व गवाह पी.डब्ल्यू.03 धन्ना सिंह ने उक्त खसरा संख्या 2524/1 को गैर मुमकिन आबादी में वादीनी के पूर्वजों की होना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू.01 नैनी देवी ने जिरह के दौरान कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन गौचर भूमि है। यह सही है कि वादग्रस्त प्लॉट के पूर्व में तालाब की पाल है। प्रदर्श 1–ए जमाबंदी में 2524/1 गौचर भूमि में है। इस प्रकार वादीनी की वादग्रस्त जमीन को गौचर भूमि नहीं होना बताया है और केवल मात्र यह कथन किया है कि प्रदर्श 1–ए जमाबंदी में गौचर भूमि बताया गया है। वादीनी की ओर से जो अन्य गवाह पेश हुए हैं, उन्होंने भी भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि होना बताते हुए वादीनी के पूर्वजों के कब्जेशुदा होना बताया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल किये जाने की धमकी दिया जाना भी बताया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक बिन्दु

के संबंध में समस्त पत्रावली का अवलोकन कर विवादग्रस्त भूखण्ड का वादीनी के पुश्तैनी कब्जे में होना विनिश्चित किया है जो कि सही तौर पर किया है।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 01 का निस्तारण रेस्पोंडेन्ट/वादीनी के पक्ष में व अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष पारित किया है, वह तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है, अपितु यह निष्कर्ष पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u> –

14. इस विवाद्यक के माध्यम से रेस्पोंडेन्ट/वादीनी को यह साबित करना था कि "आया दिनांक 18.07.2010 को प्रतिवादीगण ने उक्त प्लॉट से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी।"

उक्त के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.01 नैनी देवी ने व वादी साक्ष्य में परीक्षित अन्य साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू.02 बोदू सिंह व गवाह पी.डब्ल्यू.03 धन्ना सिंह ने वादीनी के कथनों की ताईद करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी को प्लॉट से बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने की साक्ष्य दी है, जिसका प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन भी नहीं हुआ है।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 02 का निस्तारण रेस्पोंडेन्ट/वादीनी के पक्ष में व अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष पारित किया है, वह तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है, अपितु यह निष्कर्ष पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>विवाद्यक संख्या 03</u> –

15. इस विवाद्यक के माध्यम से अपीलान्ट/प्रतिवादी को यह साबित करना था कि "आया विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गौचर भूमि होकर प्रतिवादीगण की जमीन के पास स्थित है।"

उक्त विवाद्यक को भी विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर अवस्थित समस्त साक्ष्य का विश्लेषण कर ऐसी ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपस्थित नहीं होने जो कि विवादित भूखण्ड को गौचर भूमि होना साबित करते हों, मानते हुए निर्धारित किया है।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 03 का निस्तारण अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष पारित किया है, वह तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है।

विवाद्यक संख्या 04 –

16. इस विवाद्यक के माध्यम से अपीलान्ट/प्रतिवादी को यह साबित करना था कि "आया वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है।"

उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विद्वान् विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 04 का निस्तारण अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष पारित किया है, वह तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है।

विवाद्यक संख्या 05 –

17. इस विवाद्यक के माध्यम से अपीलान्ट/प्रतिवादी को यह साबित करना था कि "आया मालिकाना हक, हकूक का घोषणा के बिना दावा संधारणीय नहीं है।"

उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे व साक्ष्य में विरोधाभासी कथन होना स्पष्ट है। विद्वान् विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 05 का निस्तारण अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष पारित किया है, वह तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है।

अनुतोष –

18. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व 02 रेस्पोंडेन्ट/वादीनी के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 03, 04 व 05 अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्र विवेचन करने के पश्चात अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2016 पारित किया है, उसमें किसी तरह की अशुद्धता, अवैधता व अनियमितता नहीं होने से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/प्रतिवादी अपील में उठाये गए समस्त आधारों को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है, अतः वह किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और अपील अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

।। आदेश ।।

19. फलतः **अपीलार्थी/प्रतिवादी नाथु** की ओर से प्रस्तुत **अपील** अन्तर्गत आदेश 43 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता **विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीनी**, **अस्वीकार** कर **खारिज** की जाती है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर द्वारा दीवानी मूलवाद संख्या 33/2010, बअनवान नैनी देवी बनाम लाडू व अन्य में पारित आलौच्य **निर्णय** एवं डिक्री **दिनांक 19.03.2016** की **पुष्टि** की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

20. तद्नुसार पुष्टि डिक्री पर्चा तैयार किया जावे। निर्णय एवं डिक्री की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे।

(मनीषा शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर।

21. आदेश आज **दिनांक 24.08.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुहर अंकित कर सुनाया गया।

(मनीषा शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.25 12:00:27 IST